



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266541
CG-DL-E-30092025-266541

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2025/आश्विन 5, 1947

No. 273]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2025/ASVINA 5, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2025

मामला सं. एडी(ओआई) -08/2025

विषय: कोरिया गणराज्य और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डायसोनोनिल फथैलेट के आयात की पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 6/08/2025-डीजीटीआर.**— केएलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड और केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के तहत, कोरिया गणराज्य और मलेशिया (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डायसोनोनिल फथैलेट (जिसे आगे "डीआईएनपी", "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि कोरिया गणराज्य और मलेशिया से उत्पन्न या निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उन्होंने कोरिया गणराज्य और मलेशिया से विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। तथापि, प्रथम दृष्टया जाँच के अनुसार, प्राधिकारी ने पाया है कि भारत औसत क्षति मार्जिन और कोरिया गणराज्य से अलग-अलग निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। तदनुसार, वर्तमान जाँच मलेशिया (जिसे आगे "विषयगत देश" भी कहा गया है) में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित डायसोनोनिल थैलेट (जिसे आगे "डीआईएनपी", "विषयगत वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में शुरू की गई है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद डायसोनोनिल थैलेट ("डीआईएनपी") है। डीआईएनपी मध्यम अणुभार वाला एक मोनोमेरिक प्राथमिक प्लास्टिसाइज़र है। यह रासायनिक सूत्र सी26एच42ओ4 वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसे कानातोल-900, पी-030 और फथैलेट प्लास्टिसाइज़र (पीवीसी) के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद सी9 अल्कोहल का एक थैलिक अम्ल एस्टर है। विचाराधीन उत्पाद की सीएस संख्या 28553-12-0 है।
4. डीआईएनपी एक लगभग पारदर्शी और गंधहीन तैलीय द्रव है, जो जल में अल्प घुलनशील और अल्कोहल तथा हेक्सेन में पूर्णतः घुलनशील है। यह पीवीसी यौगिक के सभी मोनोमेरिक प्लास्टिसाइज़र के साथ मिश्रणीय और संयोज्य है। डीआईएनपी का उपयोग मुख्यतः पीवीसी के लिए प्लास्टिसाइज़र के रूप में किया जाता है। डीआईएनपी का उपयोग पीवीसी के अलावा अन्य पॉलिमर, जैसे रबर, के उत्पादन में भी किया जाता है। डीआईएनपी का उपयोग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, जंग-रोधी पेंट्स, एंटी-फाउलिंग पेंट्स, लैकर्स, स्याही, चिपकाने वाले पदार्थ और सीलेंट जैसे गैर-पॉलिमर अनुप्रयोगों में भी किया जाता है।
5. डीआईएनपी एक गंधहीन तैलीय द्रव है, जो लगभग पारदर्शी होता है, जो पानी में थोड़ा घुलनशील और अल्कोहल व हेक्सेन में पूरी तरह घुलनशील होता है। यह पीवीसी यौगिक के सभी मोनोमेरिक प्लास्टिसाइज़र के साथ मिश्रणीय और संयोज्य है। डीआईएनपी का उपयोग मुख्य रूप से पीवीसी के लिए प्लास्टिसाइज़र के रूप में किया जाता है। डीआईएनपी का उपयोग पीवीसी के अलावा अन्य पॉलिमर, जैसे रबर, के उत्पादन में भी किया जाता है। डीआईएनपी का उपयोग ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, जंग-रोधी पेंट्स, एंटी-फाउलिंग पेंट्स, लैकर्स, स्याही, चिपकाने वाले पदार्थ और सीलेंट जैसे गैर-पॉलिमर अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। डीआईएन का उपयोग एक किफायती प्लास्टिसाइज़र के रूप में किया जाता है और यह कम वाष्पशील और अच्छा टिकाऊपन प्रदर्शित करता है। विचाराधीन उत्पाद का व्यापक रूप से तारों, केबलों और प्लास्टिसोल सहित विनाइल यौगिकों में उपयोग किया जाता है।
6. संबद्ध वस्तुएँ एक एस्टरीकरण अभिक्रिया से निर्मित होती हैं जिसमें थैलिक एनहाइड्राइड और आइसो नॉनानॉल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक बंद रिएक्टर में गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया से अल्कोहल उत्पन्न होता है जिसे निर्वात में पृथक किया जाता है। फिर अभिक्रिया द्रव्यमान को उदासीन किया जाता है, साबुन हटाने के लिए पानी से धोया जाता है। फिर अभिक्रिया द्रव्यमान को सुखाया जाता है और क्रमशः नमी हटाने और चमक बढ़ाने के लिए कार्बन से उपचारित किया जाता है। इसके बाद, यौगिक को छान लिया जाता है। छानी गई सामग्री डायसोनोनिल थैलेट है।
7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत प्रशुल्क कोड 2917 3300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं का आयात कई कोडों के अंतर्गत किया गया है, जिनमें 2917 3200, 2917 3400, 2917 3920, 2917 3990 और 2933 9990 शामिल हैं। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
8. वर्तमान जाँच में रुचि रखने वाले हितबद्ध पक्षकार, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के साथ-साथ पीसीएन के निर्माण के अपने प्रस्ताव, यदि कोई हो, के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ इस जाँच को शुरू किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ, संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के सदृश्य हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं में तकनीकी विशेषताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से

आयातित संबद्ध वस्तुओं के समतुल्य विशेषताएँ हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापीय हैं। इसलिए, वर्तमान जाँच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के रूप में 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

10. वर्तमान जाँच की शुरुआत करने के लिए आवेदन केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड और केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
11. भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात् पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, पायल प्लास्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने इस बात की भी पहचान की है कि मार्वल विनाइल्स लिमिटेड और विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं के कम मात्रा में उत्पादन में हो सकते हैं। हालाँकि, आवेदक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ये कंपनियां उत्पादन कर रही हैं या नहीं, और उनके द्वारा उत्पादन की मात्रा कितनी है। इसके अतिरिक्त, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भी भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। वर्तमान पाटनरोधी जाँच शुरू करने के आवेदन का समर्थन आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और पायल प्लास्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है।
12. पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, पायल प्लास्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड और उनके संबंधित पक्षकारों ने भारत में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। इसके अतिरिक्त, विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में मान्यता देने के लिए अपात्र माना है।
13. किसी भी स्थिति में, यदि सभी उत्पादकों को पात्र माना भी जाए, तो रिकॉर्ड में साक्ष्य के अनुसार, आवेदकों का भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड और केएलजे पेट्रोप्लास्ट लिमिटेड को घरेलू उद्योग माना है। इसके अतिरिक्त, आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए विषय देश मलेशिया है।

ड. जाँच की अवधि

15. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) की अवधि को जाँच की अवधि माना है। क्षति जाँच अवधि में 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022- 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

16. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास घरेलू बिक्री कीमत अथवा संबद्ध देश में प्रचलित कीमतों के संबंध में कोई अन्य जानकारी के संबंध में सूचना तक पहुंच नहीं थी। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देश में उत्पादन लागत के संबंध में जानकारी घरेलू उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं थी।
17. जाँच की शुरुआत करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसका अनुमान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन को भी विधिवत् समायोजित किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा की गई सामान्य मूल्य पद्धति पर जाँच आरंभ करने के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

18. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में दर्शाए गए लेन-देनवार आंकड़ों पर विचार कर किया गया है। कीमत समायोजन कारखाना द्वार निर्यात कीमत तय करने के लिए समुद्री

भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पोर्ट खर्च, क्रेडिट लागत, मालसूची वहन लागत, गौण पैकेजिंग और अंतरदेशीय भाड़ा के कारण की गई है।

पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतों की तुलना करखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए, विभिन्न मापदंडों के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम हैं। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और उसने अपनी क्षमताओं का कम उपयोग किया है। घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कीमतों पर समझौता किया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, नकद घाटा हुआ है और नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया गया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir14-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-एक्सल फॉर्मेट में हैं।
24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में उन आयातकों और प्रयोक्ताओं को, जो संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध माने जाते हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
25. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे अन्य पक्षकारों को अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नज़र रखें।

द. समय सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in और dir14-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति to adv11-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in पर इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर भेजी जानी चाहिए जो जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी गई थी अथवा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हो अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण हो तब प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा इस नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित(हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली उत्तर/अनुरोध दायर करें।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

31. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें।
32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिन्हित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय रूपांतर में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/अथवा अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी जानकारी जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया गया हो, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया हो, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई जानकारी के साथ यह उचित कारण बताना होगा कि ऐसी जानकारी को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो, वहाँ रिक्त स्थान दिया जाना चाहिए, और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण, तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।
36. हितबद्ध पक्षकार, इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना के संगत पैराग्राफ के अनुसार, दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तिथि से सात दिनों (7 दिन) के भीतर, अनुरोधों में दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

37. गोपनीयता के दावे पर, नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिसों के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त कारण कथन के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
38. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अस्वीकार कर सकते हैं।
39. प्राधिकारी द्वारा, प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा।
- ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित न करने पर किसी हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।
- ढ. असहयोग**
41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिसे उपयुक्त माना जाए।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2025

Case No. AD (OI) – 08/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation into imports of Diisononyl Phthalate originating in or exported from Malaysia.

- F. No. 6/08/2025-DGTR.**— KLJ Plasticizers Limited and KLJ Petroplast Limited (hereinafter also referred to as the “applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules” or “AD Rules”), for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of Diisononyl Phthalate originating in or exported from Korea RP and Malaysia.
- The applicants have alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from Korea RP and Malaysia and have requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the Korea RP and Malaysia. However, as per the prima facie examination, the Authority finds that the volume of injurious imports from Korea is negligible and does not justify initiation of investigation against Korea RP. Accordingly, the present investigation has been initiated concerning imports Diisononyl Phthalate (hereinafter also referred to as “DINP”, “subject goods” or

“product under consideration”) originating in or exported from Malaysia (hereinafter also referred to as “subject country”).

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is Diisononyl Phthalate (“DINP”). DINP is a monomeric primary plasticizer with medium molecular weight. It is an organic compound with chemical formula $C_{26}H_{42}O_4$. It is also known KANATOL-900, P-030 and Phthalate Plasticizer (PVC). The product under consideration is a phthalic acid ester of C_9 alcohol. The CAS number of the product under consideration is 28553-12-0.
4. DINP is a nearly transparent and odorless oily liquid, slightly soluble in water and completely soluble in alcohols and hexane. It is miscible and compatible with all the monomeric plasticizers of PVC compounding. DINP is primarily used as a plasticizer for PVC. DINP is also used in production of polymers other than PVC, such as rubber. DINP is also used in non-polymer applications such as automotive components, anti-corrosion paints, anti-fouling paints, lacquers, inks, adhesives and sealants.
5. DINP is an odorless oily liquid, nearly transparent, which is slightly soluble in water and completely soluble in alcohols and hexane. It is miscible and compatible with all the monomeric plasticizers of PVC compounding. DINP is primarily used as a plasticizer for PVC. DINP is also used in production of polymers other than PVC, such as rubber. DINP is also used in non-polymer application such as automotive components, anti-corrosion paints, anti-fouling paints, lacquers, inks, adhesives and sealants. DINP is used as an economical plasticizer and demonstrates low volatility and good durability. The product under consideration is widely used in vinylic compounds including wires, cables and plastisols.
6. The subject goods are manufactured from an esterification reaction wherein phthalic anhydride and iso nonanol, in presence of a catalyst are heated in a closed reactor. This reaction generates alcohol which is separated in vacuum. The reaction mass is then neutralised, washed with water to remove soap. Then the reaction mass is dried and treated with carbon to remove moisture and improve glossiness, respectively. Next, the compound is filtered. The filtered material is Diisononyl Phthalate.
7. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the tariff code 2917 3300. However, as per the information on record, the subject goods have been imported under a number of codes, including 2917 3200, 2917 3400, 2917 3920, 2917 3990 and 2933 9990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
8. The interested parties in the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC as well as their proposal for formation of PCNs, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. The goods produced by the domestic industry are identical to the subject goods imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry have comparable characteristics to the subject goods imported from the subject country in terms of technical specifications, physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as ‘like article’ to the subject goods originating in or exported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application for initiation of the present investigation has been filed by KLJ Plasticizers Limited and KLJ Petroplast Limited. The applicants have submitted that they are not related to exporters of subject goods in subject country or importers of product under consideration in India. Further, the applicants have not imported the product under consideration from the subject country during the period of investigation.
11. There are two other domestic producers of the subject goods in India, namely, Payal Polyplast Private Limited, Payal Plasticchem Private Limited. Additionally, the applicants have identified that Marvel Vinyls Limited and Vinyl Products Private Limited may be engaged in production of the subject goods in small quantities. However, the applicants have not been able to identify whether these entities are producing, and the quantity of production by them. Further, IG Petrochemicals Limited is also setting up a plant to manufacture the subject goods in India. The application for initiation of the present anti-dumping investigation has been supported by IG Petrochemicals Limited, Payal Polyplast Private Limited and Payal Plasticchem Private Limited.

12. Payal Polyplast Private Limited, Payal Plastics Private Limited and their related parties have imported the product under consideration from the subject country in India. Further, Vinyl Products Private Limited has also imported the product under consideration. Accordingly, the Authority has considered such producers ineligible to constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
13. As per the evidence available on record, it is noted that the applicants account for a major proportion of the total production of the like article in India. Therefore, the Authority has considered KLJ Plasticizers Limited and KLJ Petroplast Limited as the domestic industry within the provisions of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. Further, the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. SUBJECT COUNTRY

14. The subject country for the purpose of the present investigation is Malaysia.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

15. The Authority has considered 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months) as the period of investigation. The injury investigation period shall cover the period 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the period of investigation.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

Normal value

16. The applicants have claimed that they did not have access to information regarding the domestic selling price or any other information with regard to the prevailing prices in the subject country. Further, information with regard to cost of production in the subject country was not available to the domestic industry.
17. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value for Malaysia based on estimated based on cost of production of the domestic industry, duly adjusted for selling, general and administrative expenses along with a reasonable profit margin. The normal value methodology claimed by the applicants has been considered for the purpose of initiation.

Export Price

18. The export price of the subject goods from the subject country has been determined by considering transaction wise data, as reflected in the DGCI&S Data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, credit costs, inventory carrying costs, secondary packaging and inland freight to arrive at the ex-factory export price.

Dumping margin

19. The normal value and the export prices have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de-minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

20. Information furnished by the applicants, with regard to various parameters, has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have submitted that there has been a significant increase in imports from the subject country in absolute and relative terms. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and are priced below the cost of sales of the domestic industry. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry. The capacity utilization of the domestic industry has declined and it has underutilized capacities. The inventories of the domestic industry have increased. The domestic industry has incurred financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed during the period of investigation. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject country, justifying initiation of an anti-dumping investigation.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

21. On the basis of the duly substantiated application filed by the applicants and on being satisfied based on the *prima facie* evidence submitted therein, concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with

Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

22. Principles as given in Rule 6 of the Rules shall be followed for the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

23. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd11-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd11-dgtr@gov.in and dir14-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within thirty days (30 days) from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the present investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.
30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
32. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to show a good cause along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out, where indexation is not possible, and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions, within seven days (7 days) from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraph of this initiation notification.
37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
38. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is not satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

41. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority